आयुष मंत्रालय

मांग संख्या 4

आयुष मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2291.98	...	2291.98	2970.30	...	2970.30	2664.42	...	2664.42	3050.00	...	3050.00
वसूलियां	*-165.52*	...	-165.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2126.46**	**...**	**2126.46**	**2970.30**	**...**	**2970.30**	**2664.42**	**...**	**2664.42**	**3050.00**	**...**	**3050.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	33.20	...	33.20	43.39	...	43.39	53.88	...	53.88	44.71	...	44.71
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	49.96	...	49.96	62.13	...	62.13	18.15	...	18.15	13.82	...	13.82
3. भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग	5.69	...	5.69	13.23	...	13.23	13.23	...	13.23	14.39	...	14.39
4. होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.05	...	2.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	1.72	...	1.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**92.62**	**...**	**92.62**	**118.75**	**...**	**118.75**	**85.26**	**...**	**85.26**	**72.92**	**...**	**72.92**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
आयुष केंद्रीय क्षेत्रक योजना												
6. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	19.93	...	19.93	13.00	...	13.00	0.02	...	0.02	...	...	...
7. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4.99	...	4.99	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50	...	...	...
8. केंद्रीय औषध नियंत्रक, आयुष	0.04	...	0.04	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...
9. सूचना, शिक्षा एवं संचार	20.93	...	20.93	46.20	...	46.20	34.84	...	34.84	43.88	...	43.88
10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	43.87	...	43.87	38.60	...	38.60	73.94	...	73.94	86.10	...	86.10
11. एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	1.79	...	1.79	4.10	...	4.10	...	...	...	...	...	...
12. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	5.96	...	5.96	6.00	...	6.00	4.80	...	4.80	...	...	...
13. अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	7.92	...	7.92	8.77	...	8.77	2.14	...	2.14	...	...	...
14. चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	12.53	...	12.53	150.00	...	150.00	29.63	...	29.63	60.22	...	60.22

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. आयुर्वेद - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान पर कार्यक्रम	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
16. प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना	...	...	...	25.00	...	25.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
17. आयुर्ज्ञान	...	...	...	...	...	...	8.45	...	8.45	15.50	...	15.50
18. आयुर्स्वास्थ्य योजना	...	...	...	...	...	...	38.52	...	38.52	27.79	...	27.79
19. आयुष औषधी गुणवत्ता और उत्पादान संवर्धन योजना" (आओगुसी)	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	23.50	...	23.50
20. औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक योजना	...	...	...	...	...	...	31.30	...	31.30	48.49	...	48.49
जोड़-केंद्रीय क्षेत्रक योजना आयुष	**117.96**	**...**	**117.96**	**298.67**	**...**	**298.67**	**235.14**	**...**	**235.14**	**306.98**	**...**	**306.98**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**117.96**	**...**	**117.96**	**298.67**	**...**	**298.67**	**235.14**	**...**	**235.14**	**306.98**	**...**	**306.98**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
21. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	4.90	...	4.90	5.16	...	5.16	3.41	...	3.41	...	...	...
22. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	9.00	...	9.00	11.87	...	11.87	0.90	...	0.90	...	...	...
23. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	...	...	...	63.36	...	63.36	64.49	...	64.49	80.40	...	80.40
24. होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग	...	...	...	...	...	...	3.23	...	3.23	7.30	...	7.30
25. भारतीय चिचित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग	...	...	...	...	...	...	14.31	...	14.31	22.44	...	22.44
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**13.90**	**...**	**13.90**	**80.39**	**...**	**80.39**	**86.34**	**...**	**86.34**	**110.14**	**...**	**110.14**
स्वायत्त निकाय												
26. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	264.16	...	264.16	328.27	...	328.27	309.37	...	309.37	358.50	...	358.50
27. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	130.50	...	130.50	167.58	...	167.58	143.58	...	143.58	143.70	...	143.70
28. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	164.05	...	164.05	167.79	...	167.79	157.73	...	157.73	175.80	...	175.80
29. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान												
29.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	313.80	...	313.80	348.87	...	348.87	342.87	...	342.87	227.10	...	227.10
30. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता												
30.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	145.05	...	145.05	148.12	...	148.12	119.54	...	119.54	78.74	...	78.74
31. अन्य स्वायत्त निकाय												
31.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	652.22	...	652.22	758.06	...	758.06	684.59	...	684.59	776.12	...	776.12
जोड़-स्वायत्त निकाय	**1669.78**	**...**	**1669.78**	**1918.69**	**...**	**1918.69**	**1757.68**	**...**	**1757.68**	**1759.96**	**...**	**1759.96**
अन्य												
32. वास्तविक वसूलियां	-165.52	...	-165.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**1518.16**	**...**	**1518.16**	**1999.08**	**...**	**1999.08**	**1844.02**	**...**	**1844.02**	**1870.10**	**...**	**1870.10**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
33. राष्ट्रीय आयुष मिशन	397.72	...	397.72	553.80	...	553.80	500.00	...	500.00	800.00	...	800.00
कुल जोड़	***2126.46***	***...***	***2126.46***	***2970.30***	***...***	***2970.30***	***2664.42***	***...***	***2664.42***	***3050.00***	***...***	***3050.00***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1728.86	...	1728.86	2316.80	...	2316.80	2062.67	...	2062.67	2143.32	...	2143.32
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	5.09	...	5.09	43.39	...	43.39	53.88	...	53.88	44.71	...	44.71
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1733.95**	**...**	**1733.95**	**2360.19**	**...**	**2360.19**	**2116.55**	**...**	**2116.55**	**2188.03**	**...**	**2188.03**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	121.31	...	121.31	102.47	...	102.47	181.97	...	181.97
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	369.18	...	369.18	463.80	...	463.80	422.40	...	422.40	610.00	...	610.00
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	23.33	...	23.33	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00	70.00	...	70.00
जोड़-अन्य	**392.51**	**...**	**392.51**	**610.11**	**...**	**610.11**	**547.87**	**...**	**547.87**	**861.97**	**...**	**861.97**
कुल जोड़	**2126.46**	**...**	**2126.46**	**2970.30**	**...**	**2970.30**	**2664.42**	**...**	**2664.42**	**3050.00**	**...**	**3050.00**

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालयीय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने कृषि को प्रोत्साहन देने के नजरिए से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संविदात्मपक कृषि स्कीमें चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्यीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग:** यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत में सभी आयुष औषधियों से संबधित औषध परीक्षण हेतु एक अपीलीय प्राधिकरण हैं । इसके अलावा, यह संगठन सभी आयुष औषधियों के लिए मानक निर्धारित करता है जो भेषज संहिता के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

4. **होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** होम्योपैथिक औषधों की पहचान और शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करना और विदेशी औषधों के स्थान पर स्वदेशी औषधों का पता लगाना।

5. **भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** एएसयू औषधों के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित करना और गुणवत्तायुक्त नियंत्रण उपाय लागू करना तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधों का गुणवत्तायुक्तक नियंत्रण परीक्षण करके केंद्रीय स्तर पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों को लागू करना।

6. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता:** ख्याति प्राप्त आयुष संस्थाओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्नयन उत्कृष्टता स्तर तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्ताावों को सहायता प्रदान करना।

7. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्सा प्रेक्टिशनरों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्ताावों को सहायता प्रदान करना।

8. **आयुष केंद्रीय औषध नियंत्रक:** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष की ऊर्ध्वाधर संरचना सृजित करना।

9. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्येम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों के बीच जागृति उत्पन्न करना। इस प्रावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देना भी शामिल है।

10. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्सक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना; उभरती स्वास्थ्य समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थांपना करना।

11. **एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की सुरक्षा निगरानी और विपणनोपरांत सर्वेक्षण के लिए सांस्थानिक तंत्र विकसित करना।

12. **आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुष कार्मिकों की व्याावसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नयन करना।

13. **अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं:** प्राथमिकतापरक बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ताय के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टि कोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक छान-बीन करना।

14. **चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुपर स्पेशियलिटी डे केयर अस्पताल की स्थापना और आयुष ग्रिड के कौशल विकास और स्थापना के माध्यम से आयुष क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन प्रदान करना।

15. **आयुर्वेद - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान पर कार्यक्रम:** योजना का उद्देश्य स्वास्थय परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति की बेहतर समझ और प्रयोग के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को लागू करके मूल विज्ञान और चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियो के साथ आयुर्वेद के समेकन के क्षेत्रों तथा व्यावहारिक मॉडलों का पता लगाने के लिए एक मंच विकसित करना है

16. **प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना:** 4000 करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय से हर्बल खेती करना, जैसा कि आत्म निर्भर भारत 2020 में घोषणा की गई थी।

17. **आयुर्ज्ञान:** आयुष मंत्रालय ने शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आयुर्ज्ञान' योजना लागू की है।

18. **आयुर्स्वास्थ्य योजना:** यह एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें आयुष मंत्रालय की पिछली योजना "आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य" (पी एच आई) और "उत्कृष्टता केंद्र" (सी ओ ई) शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल (पी एच आई) के लिए आयुष का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य -2 (एसडीजी 2) और सतत विकास लक्ष्य -3 (एसडीजी 3) प्राप्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी संगठन के अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है।विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में आयुष हस्तक्षेपों के माध्यम से आयुष प्रणालियों की प्रभावकारिता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। उत्कृष्टता केंद्र (सी ओ ई) का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार और आयुष को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यों और सुविधाओं दोनों की स्थापना और उन्नयन के लिए रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है।

19. **आयुष औषध गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना" (आओगुसी):** आयुष औषध गुणवत्ता और उत्पादन संवर्धन योजना (आओगुसी) - आयुष औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए।

20. **औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक योजना:** आयुष उद्योग और लोक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के इन-सीटू और/या एक्स-सीटू संरक्षण, संसाधन संवर्धन को बढ़ावा देता है। औषधीय पौधों के सभी पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, कृषि तकनीकों का विकास, कटाई के बाद प्रबंधन, भंडारण और प्रसंस्करण, आणविक लक्षण वर्णन उपकरण विकसित करना आदि शामिल हैं। किसानों, संग्रहकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए औषधीय पौधों पर आधारित आजीविका प्रणाली को बढ़ाना। गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करता है और बाजार संबंध बनाना/इष्टतम करता है और मूल्यवर्धन करता है। सूचना, शिक्षा और संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उचित अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन विकास। दस्तावेजों, मोनोग्राफ, तकनीकी बुलेटिन, वृत्तचित्र, ब्रोशर, पोस्टर, अन्य प्रचार सामग्री आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देता है। औषधीय पौधों की जैव विविधता के संदर्भ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कदम उठाना और द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

21. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योपैथी के केंद्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण, दूसरी अनुसूची में योग्यता को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा12क के संदर्भमें नए कॉलेजों को मान्यता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।

22. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तार शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का दौरा करके आईएसएम कॉलेजों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा योग्यताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना(iii) भारतीय चिकित्सा की योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना (iv) चिकित्सा अभ्यासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका का अनुरक्षण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाचिप चिकित्साभ्यासियों को नामांकन/प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।

23. **आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** यह संस्थान आर्युवेद में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करता है जिसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है।

24. **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग:** चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम जो गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती चिकित्सा शिक्षा की सुलभता में सुधार लाता है, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को सुनिश्चित करता है, जो समान एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा को प्रोत्साहित करता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और सभी नागरिकों को होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों की सेवाएं सुलभ कराता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है, जो होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को उनके कार्यों में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक एवं पारदर्शी मूल्यांकन करना है और जो भारत के होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर रखने की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सबी पहलुओं में उच्च नैतिक मानक लागू करता है, जो बदलती आवश्यकताओं को अपनाने के लिए नम्य है और जिसके पास उससे संबंधित या उसके पास आए हुए मामले के समाधान के लिए एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र हो।

25. **भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग:** एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए जो गुणवता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है | जो समान और सार्वभौमिक स्वस्थ्य देखभाल को बढावा देता है | जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को भी सभी नागरिको के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है | जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढावा देता है, जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसन्धान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है | जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए चिकित्सा प्रणाली के एक मेडिकल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागु करता है, जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है |

26. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषजसंहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यि,क अनुसंधान और प्रलेखन।

27. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषज विज्ञान भेषज संहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

28. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

29. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं पोस्टडॉक्टोरल शिक्षा (एमडी/पीएचडी) का मानक-आधार तैयार करना।

30. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी और आईपीडी में मरीज देखभाल से संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठायक्रम चलाना।

31. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीजीटीआरए), जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई, राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलोर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएएच), शिलांग, पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईईएफएम), पासीघाट, राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान, राष्ट्रीय सोवा-रिग्या संस्थान तथा राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएफ़एमआर), पासीघाट के लिए प्रावधान शामिल हैं।

33. **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से वैश्विक सुलभता के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध करना; स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के रुप में स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करके व्यापाक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना पीएचसी, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना (ii) राज्य स्तर पर आयुष शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, औषधि परीक्षण का उन्नसयन कर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तानयुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पा्दन करना (v) विपणन के पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।